

पत्रांक :सम्ब/ 1996/2026 दिनांक : 13 /10/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: शैक्षिक सत्र 2027-28 हेतु नवीन महाविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2027-28 हेतु नवीन महाविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या I/1459336/2026/70-2099/28/2025 पार्ट-2, दिनांक 10.09.2026 द्वारा समय-सारिणी निर्धारित की गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या सम्ब०/1872/2026, दिनांक 10.09.2026 के माध्यम से भी सूचना जारी की जा चुकी है।

शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी निम्नवत् है—

क्र.सं.	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 09 सितम्बर से 31 अक्टूबर, 2026 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 01 नवम्बर, 2026 से 05 जनवरी, 2027 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया गया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 20 जनवरी, 2027।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन।	निरीक्षण मण्डल का गठन दिनांक 05 मार्च, 2027 तक। (i) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2027 तक निरीक्षण मण्डल का गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा।

		(ii) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च, 2027 तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2027 तक।
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2027 तक।

अतः सम्बन्धित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे शासनादेश में निर्धारित प्रावधानों एवं समय-सारिणी का भली-भाँति अवलोकन करते हुए निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता प्रस्तावों का निस्तारण नियमानुसार किया जा सके।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, मैनुपरी, फिरोजाबाद।
2. प्रभारी-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।


कुलसचिव